राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर

विज्ञापन संख्या : 1/परीक्षा 'ग'/अध्यापक/संस्कृत शिक्षा/2008–2009/1125 दिनांक– 20.6.2008

अध्यापक संस्कृत/सामान्य तृतीय श्रेणी परीक्षा, 2008

राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के अन्तर्गत संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए अध्यापक संस्कृत/सामान्य तृतीय श्रेणी अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा, 2008 के लिये आवेदन पत्र आमंत्रित :–

1. पद की क्रम सं. 21 :– अध्यापक संस्कृत
पद की शैक्षणिक योग्यता एवं रिक्त पदों का विवरण :–

क्र. स.	कुल पदों की संख्या	सामान्य योग्यता पद		आरक्षित पद					
				राजस्थान के अ.जा.		राजस्थान के अ.ज.जा.		राजस्थान के अ.पि.व.	
		सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
1	1358	526	225	133	57.	100	42	193	82

नोट :– महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से 5 प्रतिशत विधवा अभ्यर्थियों के लिए होगा।
जनजाति क्षेत्र के जिलों का आरक्षण

क्रम सं.	जिला	कुल पद	राजस्थान के अनुसूचित जाति			कुल पद	राजस्थान के अनुसूचित जनजाति		
			सामान्य	महिला	विधवा		सामान्य	महिला	विधवा
1	बांसवाडा	2	2	0	0	18	13	5	0
2	बांरा	2	2	0	0	9	7	2	0
3	डूंगरपुर	1	1	0	0	14	10	4	0
4	सिरोही	4	3	1	0	4	3	1	0
5	प्रतापगढ़	9	7	2	0	12	9	3	0
6	उदयपुर	6	5	1	0	19	14	5	0
	योग	**24**	**20**	**4**	**0**	**76**	**56**	**20**	**0**

उपरोक्त वर्णित कुल 1458 पदों में :–

- राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार निःशक्तजन हेतु कुल 43 पदों में से Low vision Disability से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 22 पद आरक्षित हैं तथा Locomotor / Cerebral Palsy Disability से ग्रस्त One Leg, Both Leg & One Arm की अशक्तता के अभ्यर्थियों के लिए 21 पद आरक्षित हैं ।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिको का आमेलन) नियम 1988 के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये 182 पद आरक्षित है ।

शैक्षणिक योग्यता :

अध्यापक संस्कृत :–

1. वरिष्ठ उपाध्याय या संस्कृत माध्यम से समतुल्य पारस्परिक संस्कृत परीक्षा साथ ही दो वर्ष से अन्यून अवधि का मूल अध्यापक प्रशिक्षण में डिप्लोंमा या प्रमाण पत्र

   या

   वरिष्ठ उपाध्याय या संस्कृत माध्यम से समतुल्य पारस्परिक संस्कृत परीक्षा साथ में प्रारम्भिक शिक्षा स्नातक (बी.एल.एड.)
2. देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान

नोट :– पदों की योग्यता के साथ यह परन्तुक भी लागू होगा

परन्तु यह कि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्ती के लिए नियमों व अनुसूची में यथा उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के (का) पात्र होगा किन्तु उसे समुचित चयन एजेन्सी की :–
जहाँ चयन केवल लिखित परीक्षा या यथा स्थिति केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है वहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।
अर्थात आयोग द्वारा आयोजित उक्त परीक्षा की लिखित दिनांक से पूर्व प्रार्थी शैक्षिक अर्हता अर्जित कर चुका हो वही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र

क्रमशः.........

Scheme & Syllabus of Competitive Examination

राजस्थान संस्कृत अधीनस्थ सेवा नियम 1978 के नियम 20 व अनुसूची II
अध्यापक ग्रेड III संस्कृत पद के लिये प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम

(1) प्रतियोगी परीक्षा 200 अंको की होगी।
(2) परीक्षा की समयावधि 2 घंटे की होगी।
(3) लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी **(Multiple Choice)** प्रकार के प्रश्न होंगे।
(4) प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे जो उनके सामने दर्शित अंको के होंगे :–

(i)	राजस्थान के विशेष संदर्भ सहित सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय	60 अंक
(ii)	राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान	60 अंक
(iii)	शैक्षिक मनोविज्ञान	07 अंक
(iv)	**विद्यालय विषय : संस्कृत**	
	संज्ञा प्रकरण	04 अंक
	संधि ज्ञान	07 अंक
	कारक ज्ञान	07 अंक
	समास	07 अंक
	प्रत्यय	07 अंक
	उपसर्ग	03 अंक
	अव्यय	03 अंक
	छंद	04 अंक
	अलंकार	03 अंक
	कोष	05 अंक
	धातु रूप ज्ञान	05 अंक
	शब्द रूप ज्ञान	05 अंक
टिप्पणी :	**विद्यालय विषयों की अन्तर्वस्तुओं का स्तर प्रवेशिका स्तर का होगा।**	
(v)	शैक्षिक रीति विज्ञान (संस्कृत)	13 अंक
	कुल	**200 अंक**

(5) खण्ड 4, (i), 4(ii) और 4(iii) में उल्लिखित विषयों के लिए परीक्षा का माध्यम हिन्दी/अंगेजी भाषा होगी। खण्ड 4(iv) और 4(v) में उल्लिखित विषयो के लिए परीक्षा का माध्यम संस्कृत भाषा होगी।
(6) परीक्षा के लिये प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय–समय पर विहित किया जावे और अभ्यर्थियों को नियत समय के भीतर ऐसी रीति से, जो आयोग उचित समझे सूचित किया जायेगा।

2. अध्यापक – सामान्य :–

पद की क्रम सं. 22 :– अध्यापक सामान्य
पद की शैक्षणिक योग्यता एवं रिक्त पदों का विवरण :–

क्र. स.	कुल पदों की संख्या	सामान्य योग्यता पद		आरक्षित पद					
				राजस्थान के अ.जा.		राजस्थान के अ.ज.जा.		राजस्थान के अ.पि.व.	
		सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला	सामान्य	महिला
1	1358	526	225	133	57.	100	42	193	82

नोट :– महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्तियों का आरक्षण सीधी भर्ती में प्रवर्गानुसार 30 प्रतिशत होगा जिसमें से 5 प्रतिशत विधवा अभ्यर्थियों के लिए होगा।

जनजाति क्षेत्र के जिलो का आरक्षण :–

क्रम सं.	जिला	कुल पद	राजस्थान के अनुसूचित जाति			कुल पद	राजस्थान के अनुसूचित जनजाति		
			सामान्य	महिला	विधवा		सामान्य	महिला	विधवा
1	बांसवाडा	2	2	0	0	18	13	5	0
2	बांरा	2	2	0	0	9	7	2	0
3	डूंगरपुर	1	1	0	0	14	10	4	0
4	सिरोही	4	3	1	0	4	3	1	0
5	प्रतापगढ़	9	7	2	0	12	9	3	0
6	उदयपुर	6	5	1	0	19	14	5	0
	योग	**24**	**20**	**4**	**0**	**76**	**56**	**20**	**0**

क्रमशः.........

उपरोक्त वर्णित कुल 1458 पदों में :–

- राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 के नियमानुसार निःशक्तजन हेतु कुल 43 पदों में से Low vision Disability से ग्रस्त अभ्यर्थियों के लिए 22 पद आरक्षित हैं तथा Locomotor / Cerebral Palsy Disability से ग्रस्त One Leg, Both Leg & One Arm की अशक्तता के अभ्यर्थियों के लिए 21 पद आरक्षित हैं ।
- राजस्थान सिविल सेवा (भूतपूर्व सैनिको का आमेलन) नियम 1988 के नियमानुसार भूतपूर्व सैनिकों के लिये 182 पद आरक्षित है ।

शैक्षणिक योग्यता :

अध्यापक सामान्य :–

1. सीनियर सैकण्डरी या समतुल्य परीक्षा साथ ही दो वर्ष से अन्यून अवधि का मूल अध्यापक प्रशिक्षण में डिप्लोमा या प्रमाण पत्र

या

सीनियर सैकण्डरी या समतुल्य परीक्षा साथ ही प्रारम्भिक परीक्षा स्नातक (बी.एल.एड.)

2 देवनागरी लिपि में लिखी हिन्दी का व्यवहारिक ज्ञान तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान

नोट :– पदों की योग्यता के साथ यह परन्तुक भी लागू होगा

परन्तु यह कि पाठ्यक्रम के अन्तिम वर्ष की परीक्षा जो सीधी भर्त्ती के लिए नियमों व अनुसूची में यथा उल्लेखित पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हता है, में सम्मिलित हुआ या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति पद के लिए आवेदन करने के (का) पात्र होगा किन्तु उसे समुचित चयन एजेन्सी की :–

जहाँ चयन केवल लिखित परीक्षा या यथा स्थिति केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया जाना है वहां लिखित परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित होने से पूर्व अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा।

अर्थात आयोग द्वारा आयोजित उक्त परीक्षा की लिखित दिनांक से पूर्व प्रार्थी शैक्षिक अर्हता अर्जित कर चुका हो वही पात्र माना जायेगा अन्यथा अपात्र

अध्यापक ग्रेड III सामान्य पद के लिये प्रतियोगी परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम

(1) प्रतियोगी परीक्षा 200 अंको की होगी।
(2) परीक्षा की समयावधि 2 घंटे की होगी।
(3) लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र में बहुविकल्पी (Multiple Choice) प्रकार के प्रश्न होंगे।
(4) प्रश्न पत्र में निम्नलिखित विषय सम्मिलित होंगे जो उनके सामने दर्शित अंको के होंगे :–

(i)	राजस्थान के विशेष संदर्भ सहित सामान्य ज्ञान और समसामयिक विषय		60 अंक
(ii)	राजस्थान का भौगोलिक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान		60 अंक
(iii)	शैक्षिक मनोविज्ञान		07 अंक
(iv)	**विद्यालय विषय :**		
	(क)	हिन्दी	07 अंक
	(ख)	अंग्रेजी	07 अंक
	(ग)	गणित	07 अंक
	(घ)	सामान्य विज्ञान	07 अंक
	(ड)	सामाजिक अध्ययन	07 अंक
टिप्पणी : विद्यालय विषय की अन्तर्वस्तुओं का स्तर प्रवेशिका स्तर का होगा।			
(v)	शैक्षिक रीति विज्ञान		
	(क)	हिन्दी	07 अंक
	(ख)	अंग्रेजी	07 अंक
	(ग)	गणित	08 अंक
	(घ)	सामान्य विज्ञान	08 अंक
	(ड)	सामाजिक अध्ययन	08 अंक
		कुल	**200 अंक**

(5) परीक्षा के लिए प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम और विस्तार ऐसा होगा जो आयोग द्वारा समय पर विहित किया जावे और अभ्यर्थियों को नियम समय के भीतर ऐसी रीति से जो आयोग उचित समझे सूचित किया जायेगा।

3. पद की क्रम संख्या 21 एवं 22 के लिए अलग–अलग आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा।

विशेष सूचना :–

1 उपरोक्तानुसार निःशक्तजन/भूतपूर्व सैनिकों के लिये दर्शाये गये आरक्षित पदों का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से है अर्थात जिस वर्ग (SC/ST/OBC/GEN) का अभ्यर्थी उपलब्ध होगा उसे उसी वर्ग के अन्तर्गत समायोजित किया जावेगा ।

2 भूतपूर्व सैनिक :

(1) भूतपूर्व सैनिको के आरक्षित पदों के विरूद्ध आवेदन करने वाले आवेदक को आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक नियमानुसार सेना से सेवानिवृत हो जाना आवश्यक है, अन्यथा उसे आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा ।

(2) भूतवूर्व सैनिको के आश्रितों को भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ देय नहीं होगा ।

क्रमशः.........

3 महिलाओं हेतु आरक्षित पद का आरक्षण दण्डवत (Horizontal) रूप से प्रवर्गानुसार (category wise) है । महिला अभ्यर्थियों का आरक्षण उस सम्बंधित प्रवर्ग में, जिसकी वे महिला अभ्यर्थी है, अनुपातिक रूप से समायोजित किया जायेगा ।

स्पष्टीकरण : किसी वर्ग (सामान्य वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछडी जाति) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा। पिछड़ी जाति की विवाहित महिला आवेदक का अपने पिता के नाम, निवास स्थान एवं आय के आधार पर जारी नॉन क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। पति के नाम व आये के आधार पर जारी प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा।

नोटः— किसी वर्ग (सामान्य/अ0जा0/अ0ज0जा0/अ0पि0व0) की पात्र एवं उपयुक्त महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग के पुरूष अभ्यर्थियों से भरा जायेगा ।

4 महिलाओं हेतु आरक्षित दर्शाये गये पदों में से नियमानुसार 5 प्रतिशत पद विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पात्र एवं उपयुक्त विधवा महिला अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर उस पद को उसी वर्ग की अन्य महिला अभ्यर्थियों से भरा जायेगा।

5 अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद केवल अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है से ही भरे जायेगें । राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी नहीं होने पर आवेदक को सामान्य वर्ग का माना जावेगा ।

6 अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होने पर इनके आरक्षित पदों को सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों से नहीं भरा जायेगा । राजस्थान के अन्य पिछडी जाति, निःशक्तजन एवं भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षित पदों हेतु पात्र एवं उपयुक्त अभ्यर्थी उपब्लब्ध नहीं होने पर इन पदों को नियमानुसार से भरा जायेगा ।

7 विज्ञापन जारी होने के उपरान्त विज्ञापित पदों की संख्या में कमी या बढोत्तरी की जाती है तो जिसके लिये अलग से कोई सूचना/शुद्धि पत्र जारी नहीं किया जावेगा ।

8 ऐसा कोई भी अभ्यर्थी, जिसके 1—6—2002 को या उसके पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगाः
परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :
परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते हैं वहॉ बच्चो की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा ।

9 पेंशनः— नये भर्ती/नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के लिये दिनांक 1—1—2004 से अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी ।

10 ऐसे किसी अभ्यर्थी को, जो कि दिनांक 20.01.2006 के पश्चात् राज्य सेवा में नियुक्तियों दो वर्ष के परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के लिए की जायेगी। इस अवधि के दौरान पद की वेतन श्रृंखला न देकर राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर नियम पारिश्रमिक (Fixed Remuneration) देय होगा एवं इसके अतिरिक्त अन्य कोई भत्ते यथा मकान किराया भत्ता, मंहगाई भत्ता, शहरी क्षतिपूर्ति भत्ता, विशेष वेतन आदि देय नहीं होंगे।
परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में अन्य सुविधाएं एवं अवकाश आदि राजस्थान सेवा नियमों संशोधित प्रावधानों के अनुसार देय होगें परीवीक्षा प्रशिक्षण अवधि के संतोषजनक पूर्ण होने के उपरांत ही पद की वेतन श्रृखला का न्यूनतम एवं अन्य भत्ते नियमानुसार देय होंगे। पद का वेतनमान रू. 4500—125—7000 मासिक नियम पारिश्रमिक रू. 4450।

11 आवेदक के विवाहित होने की सूरत में आवेदन पत्र में पति/पत्नि के नाम का उल्लेख करना तथा विवाह पंजियन प्रमाण पत्र या विवाह पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में शपथ पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है ।

4. आवेदन पत्र प्राप्ति का अन्तिम दिनांक — आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में पहुंचने का **अन्तिम दिनांक 08—08—2008 (आठ अगस्त, दो हजार आठ)** सायं पांच बजे तक (व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड ए.डी. डाक द्वारा) इसके पश्चात प्राप्त आवेदन पत्र किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किये जायेंगे ।

आवेदक O.M.R. Sheet भरने के निर्देशों में दिये गये 32 जिलों के कोड नम्बर में से वांछित कोड नम्बर चुन कर O.M.R. Sheet के कॉलम संख्या 07 Distt. Code, 08 Centre Code के कॉलम में सावधानी पूर्वक प्रविष्टि करें । आवेदक को परीक्षा केन्द्र का आवंटन O.M.R. Sheet के कॉलम संख्या 08 में भरे गये परीक्षा केन्द्र के कोड नम्बर एवं अन्य प्रशासनिक व्यवस्थाओं कों दृष्टिगत रखते हुए किया जायेगा । आयोग द्वारा स्वविवेक से परीक्षा हेतु अभ्यर्थी द्वारा चुने गये परीक्षा केन्द्र में परिवर्तन भी किया जा सकता है । आयोग कार्यालय में आवेदन—पत्र प्रस्तुत करने के बाद परीक्षा केन्द्र एवं अन्य किसी भी प्रकार के परिवर्तन की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी ।

5. परीक्षा शुल्क :—

परीक्षा हेतु श्रेणी वार परीक्षा शुल्क निम्न प्रकार तय किया गया है । आवेदकों की सुविधा हेतु परीक्षा शुल्क को आवेदन पत्र के मूल्य रू. 50 के साथ सम्मिलित कर आवेदन पत्रो का विक्रय किया जा रहा है । आवेदक अपनी श्रेणी अनुसार निर्धारित मूल्य का आवेदन पत्र खरीद कर आवेदन करे ।

- सामान्य आवेदकों हेतु रू. 250 का आवेदन पत्र (परीक्षा शुल्क रूपये 200, आवेदन पत्र मूल्य रू. .50/—)
- अन्य पिछडे वर्ग के नोन क्रिमीलेयर के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी हैं हेतु रूपये 150 का आवेदन पत्र (परीक्षा शुल्क रूपये 100 आवेदन पत्र मूल्य रू. 50.)
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आवेदक जो राजस्थान राज्य के स्थायी निवासी है एवं समस्त निःशक्त जन आवेदक हेतु रूपये 50 का आवेदन पत्र (परीक्षा शुल्क मुक्त केवल आवेदन पत्र का मूल्य रू 50)

क्रमशः.........

6. **आयु** :– आवेदक 1 जुलाई, 2009 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 35 वर्ष का नहीं हुआ हो, परन्तु यह कि :–

1. इस सेवा के किसी पद पर कार्य कर रहे सदस्य (Member of the service) को इस सेवा के उच्च पद के लिये आवेदन हेतु सीधी भर्त्ती के लिये आयु सीमा नहीं होगी।
2. राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के पुरूषों के मामले में 5 वर्ष की छूट होगी।
3. राजस्थान की अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामलें में 10 की वर्ष की छूट होगी।
4. सामान्य वर्ग की महिला आवेदको के मामलों में 5 वर्ष की छूट होगी तथा राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के मामलें में 10 की वर्ष की छूट होगी।
5. भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व इस राज्य सरकार के अधीन किसी पद पर मौलिक (सब स्टेक्टिव) रुप से कार्य कर चुका हो और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले में अधिकतम आयु सीमा लागू नहीं होगी।
6. अन्य भूतपूर्व कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था, के मामले मे ंकारावास में व्यतीत की गई अवधि के बराबर छूट होगी।
7. भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी परन्तु सैन्य क्रास / वीर चक्र या कोई अन्य उच्च विशेष योग्यता धारकों की दशा में उच्च आयु सीमा 2 वर्ष तक शिथिल करने योग्य होगी ।
8. इस सेवा के किसी पद पर अस्थाई नियुक्ति व्यक्ति अगर प्रारम्भिक नियुक्ति के समय आयु सीमा में थे तो उन्हें आयु सीमा में समझा जावेगा चाहे वे आयोग के समक्ष आखिरी उपस्थिति के समय के समय उसे पार कर चुके हों और यदि वे उनकी प्रारम्भिक नियुक्ति के समय इस प्रकार पात्र थे तो उन्हें दो अवसर दिये जावेंगे।
9. कैडेट इन्सट्रक्टर्स के मामले में उतने ही काल की छूट होगी जितनी सेवा उन्होंने एन.सी.सी. मे ंकी होगी बशर्ते परिणामित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी तो उन्हें निर्धारित आयु सीमा में समझा जावेगा।
10. कीनिया, तंजानिया, उगान्डा और जंजीवार के पूर्वी अफ्रीकी देशों से स्वदेश प्रत्यावर्तित व्यक्ति के मामले में कोई आयु सीमा नहीं होगी।
11. राजस्थान राज्य के कारोबार में सस्थाई (सबस्टेन्सिस) रुप से सेवारत व्यक्तियों के मामलों में 40 वर्ष तक होगी तथा पंचायत समितियों तथा जिला परिषदों और राज्य के पब्लिक सैक्टर उपक्रमों/निगमों के कार्यकलापों के संबंध में स्थाई रुप सेवारत व्यक्तियों के लिए अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष होगी।
12. रिलीब्ड इमर्जेन्सी कमीशण्ड आफिसर/शोर्ट सर्विस कमीशण्ड सेवा में कमिशन ग्रहण करते यदि इस पद के लिये इस प्रकार पात्र थे तो सेवा से रिहा होने के बाद आयोग के समक्ष उपस्थिति के समय चाहे वे आयु सीमा पार कर चुके हों पात्र समझा जावेगा।
13. सन् 1971 में हुये भारत पाक युद्ध के मध्य कैदी जो दण्डित होने से पूर्व वयोत्तर नहीं था और इन नियमों के तहत नियुक्ति के योग्य था के मामले में कारावास में व्यतीत की गयी अवधि के बराबर छूट होगी।
14. विधवाओं एवं विछिन्न महिलाओं के मामलों में कोई आयु सीमा नहीं होगी। (स्पष्टीकरण) विधवा महिला के मामले में उसे सक्षम प्राधिकारी से अपने पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र तथा विछिन्न विवाह महिला मामले में उसे विछिन्न विवाह का सबूत प्रस्तुत करना होगा।
15. राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम,2000 के नियम 4 के उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिये सेवा नियमों में विहित अधिकतम आयु सीमा को सुसंगत सेवा नियमो के अधीन पहले से विहित शिथिलीकरण को सम्मिलित करते हुए उपरोक्त वर्णित अधिकतम आयु सीमा में निम्नानुसार छूट देय :–
    1. सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 10 वर्ष
    2. अ0पि0जा0 वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 13 वर्ष
    3. अ0जा0/अ0ज0जा0 के अभ्यर्थियों हेतु 15 वर्ष

Note – Definition of member of the service as per the Rajasthan Sanskrit Education Subordinate Service Rules is as follows –

Member of the service "Means a person appointed in a substantive capecity to a post in the service under the provision of those rules or the rules or orders superseded by rule 37 and includes a probetioner."

नोट – उपरोक्त पैरा के प्रावधान 1 से 15 पर वर्णित आयु सीमा में छूट के प्रावधान "Non Cumulative" है, अर्थात अभ्यर्थियों को उपरोक्त वर्णित किसी भी एक प्रावधान का अधिकतम आयु सीमा में छूट को लाभ दिया जायेगा। एक से अधिक प्रावधानों को जोड़ कर छूट का लाभ नहीं दिया जायेगा।

7. **अनापत्ति प्रमाण पत्र के सम्बन्ध में** :–सभी आवेदक चाहे वे पहले से सरकारी नौकरी में हों या सरकारी औद्योगिक उपक्रमों में हों या इसी प्रकार के अन्य संगठनों में हों या गैर सरकारी संस्था में नियुक्त हों, अपने आवेदन पत्र आयोग को सीधे ही भेजने चाहिये । आयोग कार्यालय में अन्तिम दिनांक के पश्चात पहुंचने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे भले ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र अपने नियोक्ता को अन्तिम दिनांक के पूर्व प्रस्तुत किया गया हो । जो आवेदक पहले से कार्यरत है उन्हे अपने नियोक्ता को इस परीक्षा के लिये आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व ही लिखित में सूचित कर स्वीकृति प्राप्त कर लेनी चाहिये यदि नियोक्ता द्वारा आयोग को आवेदक द्वारा सूचना/अनुमति हेतु आवेदन नहीं किये जाने की अथवा आवेदक को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दिये जाने का सूचित किया जाता है तो आवेदक की अभ्यर्थिता तुरंत प्रभाव से किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

8. **नियुक्ति के लिये आयोग्यता :–**

1. किसी भी ऐसे पुरुष उम्मीदवार को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।
2. किसी भी ऐसी महिला उम्मीदवार को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पत्नी है नियुक्ति के लिये पात्र नहीं माना जावेगा। किसी महिला अभ्यर्थी को इस नियम की कार्यवाही से छूट दी जा सकती है यदि सरकार संतुष्ट हो कि ऐसा करने के लिए विशेष आधार है।

क्रमशः.........

3. ऐसा कोई अभ्यर्थी, जिसके 1.6.2002 को या उसक पश्चात दो से अधिक बच्चे हो सेवा में नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होगा :–
परन्तु दो से अधिक बच्चों वाले किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिए तब तक निरर्हित नहीं समझा जायेगा, जब तक कि 1 जून, 2002 को विद्यमान उसके बच्चों की संख्या में बढ़ोत्तरी नहीं होती :
परन्तु यह और कि जहां किसी अभ्यर्थी के पूर्वत्तर प्रसव से केवल एक बच्चा है किन्तु किसी एक पश्चातवर्ती प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा होते है वहाँ बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जायेगा।
4. शासन के परिपत्र क्रमांक प.6(19) गृह–13/2006 दिनांक 22.5.2006 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया है। तत्संबंधी प्रमाण पत्र यथा समय वांछनीय होगा।
5. आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित (Debar) किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित (Debar) होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करें।

9. आवेदन कैसे करें :–

आवेदक अपनी श्रेणी के अनुसार राजस्थान राज्य के उन जिला मुख्यालयों पर जहां डाईट संस्था स्थित है, उन जिलों के आवदेन पत्र डाईट से उपलब्ध कराये जायेंगे। शेष रहे जिलों के आवेदन पत्र जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से नकद भुगतान पर खरीदकर आवेदन कर सकते है। आवेदन पत्र डाईट एवं जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक से दिनांक 25.6.08 से विक्रय किये जायेंगे।

आवेदन पत्र खरीदने के लिये अभ्यर्थी जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी का ही आवेदन पत्र नकद भुगतान पर खरीद कर आवेदन करें । श्रेणी वार आवेदन पत्र का मूल्य निम्न प्रकार तय किया गया है जिसमें विज्ञापन के बिन्दु 4 के अनुसार परीक्षा शुल्क भी सम्मिलित है :–

- केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति (Only for S.C. Candidates of Rajasthan State) श्रेणी के आवेदकों हेतु Rs. .50. का आवेदन पत्र
- केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित जन जाति (Only for S.T. Candidates of Rajasthan State) श्रेणी के आवेदकों हेतु Rs. 50 का आवेदन पत्र
- निःशक्तजन श्रेणी के समस्त आवेदक (Disable Candidates of all category) (जिसमे SC/ST/OBC/General सभी श्रेणी के निःशक्त जन सम्मिलित हैं) के आवेदकों हेतु Rs. .50 का आवेदन पत्र
- केवल राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग नोन क्रिमीलेयर (Only for O.B.C. Non Creamylayer Candidates of Rajasthan State) श्रेणी के आवेदकों हेतु Rs. 150 का आवेदन पत्र
- सामान्य श्रेणी के आवेदक (सामान्य श्रेणी के आवेदको में उपरोक्त श्रेणी के आवेदकों के अतिरिक्त समस्त आवेदक सम्मिलित है Rs. 250. का आवेदन पत्र

कृपया ध्यान दें :

- **OMR Sheet के कॉलम संख्या 11 में पद की क्रम संख्या (यथा 21 या 22) का योग्यता के अनुसार उल्लेख करें।**
- **OMR Sheet की कॉलम संख्या 24 में BSTC/Diploma का उल्लेख किया जावे तथा कॉलम संख्या 25 में B.El.Ed. का उल्लेख करें। कॉलम भरते समय पद की क्रम संख्या का ध्यान रखा जावें।**

- आवेदक श्रेणी वार तय किये गये आवेदन पत्र के अनुसार अपनी श्रेणी का आवेदन पत्र खरीद कर ही आवेदन करें । गलत श्रेणी का आवेदन पत्र खरीद कर आवेदन करने पर आवेदक का आवेदन पत्र आयोग द्वारा रद्द कर दिया जावेगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी आवेदक की होगी । **आवेदक आवेदन पत्र स्वयं की हेन्डराइटिंग से भरे अन्यथा उसका आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जायेगा।**
- **आवेदक भरे हुए आवेदन पत्र व्यक्तिशः अथवा रजिस्टर्ड ए.डी., स्पीड पोस्ट डाक द्वारा सीधे ही आयोग कार्यालय को भेजें ।**

Application Form Packet OMR Application Form, Envelope & Instruction उपलब्ध होंगे । यदि आवेदक द्वारा O.M.R. Application Form में भरी गई सूचनाएं अपूर्ण अथवा त्रुटि पूर्ण पाई जाती है तो आयोग द्वारा आवेदन पत्र बिना किसी सूचना के रद्द कर दिया जायेगा । आयोग कार्यालय में आवेदन पत्र जमा होने के पश्चात आवेदन पत्र में भरी गयी किसी भी सूचना में परिवर्तन की कोई प्रार्थना स्वीकार नहीं की जायेगी । अभ्यर्थी को उसके द्वारा O.M.R. Application Form में भरी गई सूचना के आधार पर ही परीक्षा में प्रवेश दिया जायेगा अतः आवेदक O.M.R. Application Form को सावधानी पूर्वक भरें , इसके लिये आवेदन पत्र के साथ उपलब्ध आवेदन पत्र भरने सम्बन्धी निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर लें ।

O.M.R. Application Form समयान्तर्गत आयोग द्वारा निर्धारित अन्तिम दिनांक तक प्राप्त होने पर स्वीकार किया जायेगा। आवेदक आवेदन करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि वह विज्ञापन के नियमानुसार पात्रता की समस्त शर्तें पूरी करता है । आयोग द्वारा किसी भी परीक्षा में वंचित किये गये ऐसे आवेदक जिनके वंचित होने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति के अन्तिम दिनांक तक समाप्त नहीं हुई है, इस परीक्षा हेतु आवेदन नहीं करे ।

नोट :–

1. आवेदक जिनके आवेदन पत्र अन्तिम दिनांक तक आयोग कार्यालय को पूर्ण सूचना सहित प्राप्त होंगे, ऐसे आवेदकों को आयोग द्वारा अनन्तिम (Provisional) रूप से प्रवेश दिया जायेगा । परीक्षा में केवल मात्र उसे प्रवेश पत्र जारी करने से यह मतलब नहीं है कि आयोग द्वारा उसकी उम्मीदवारी अन्तिम रूप से सही मान ली गई है अथवा उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में की गयी प्रविष्टियॉं आयोग द्वारा सही और ठीक मान ली गई हैं । आयोग द्वारा उम्मीद्वार की पात्रता की जांच करते समय अथवा मूल प्रलेखों से पात्रता की जांच करते समय यदि आयु, शैक्षणिक योग्यता तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछडा वर्ग, अन्य शर्तें आदि के कारण उसकी अपात्रता का पता चल जाता है तो इस परीक्षा हेतु उसकी उम्मीदवारी किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है जिसकी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी ।
2. आवेदक इस परीक्षा के सेवा नियम राजस्थान संस्कृत शिक्षा अधीनस्थ सेवा नियम 1978 का अध्ययन कर लें । नियमानुसार अपात्र पाये जाने की स्थिति में अभ्यर्थी की अभ्यर्थिता किसी भी स्तर पर रद्द की जा सकती है ।

क्रमशः.........

3. आयोग द्वारा परीक्षा हेतु किसी भी प्रकार की गाइड बुक आदि का अनुमोदन नहीं किया गया है । परीक्षा का पाठ्यक्रम आयोग की नवीन वैब साइट http://www.rpsc.gov.in पर भी उपलब्ध है ।
4. श्रुत लेखक की सुविधा :– सामान्यतया सभी परीक्षार्थियों को प्रश्न–उत्तर स्वयं अपने हाथ से लिखने होंगे, केवल राजस्थान निःशक्त व्यक्तियों का नियोजन नियम, 2000 में वर्णित ऐसे निःशक्त व्यक्ति जो स्वयं अपने हाथ से प्रश्नों के उत्तर लिखने में असमर्थ है , उन्हे आयोग कार्यालय को परीक्षा दिनांक से 15 दिन पूर्व तक प्रार्थना पत्र वांछित प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत करने पर आयोग द्वारा श्रुत लेखक की सुविधा देय होगी परन्तु अचानक दुर्घटनावश लेखन कार्य से अस्थाई रूप से असमर्थ हुए अभ्यर्थियों को यह सुविधा देय नहीं होगी ।

10. कदाचार के दोषी पाए उम्मीदवारों के विरूद्ध कार्रवाई :–

1. NATURE OF CASES IN WHICH A CANDIDATE'S THAT EXAMINATION CAN BE CNCELLED :
(i) Disobeying the instructions of the Supdt./Addl. Supdt./Dy. Supdt./Invigilator or member of Flying Squad.
(ii) Talking within examination centre campus (Hall, urinals etc.) during the course of examination.
(iii) Supperessing information demanded in examination form.
(iv) Leaving examination hall in violation of rules/instructinos of invigilator.
2. NATURE OF CASES IN WHICH A CANDIDATE CAN BE DEBARRED FOR APPEARING IN ANY EXAMINATION OF COMMISSION FOR NEXT ONE YEAR IN ADDITION TO CANCELLATION OF THAT EXAMINATION :
(i) Candidate who is fournd inexamination centre in possenssion of some materials (includin material written on wall/furniture near the candidate/body/cloths of candidate) related to subject which can be used in that subject but which has not been used.
(ii) Attemting to copy from other candidate's answer book.
3. CASES IN WHICH A CANDIDATE CAN BE DEBARRED FOR APPEARING IN ANY EXAMINATION OF COMMISSION FOR NEXT TWO YEARS IN ADDITION TO CANCELLATION OF THAT EXAINATION :
(i) Tempering with his own answer book inany way.
(ii) the candidate is found in possessionof incriminatin material (as described under 2(i) and has used the material for answering the examination paer.
(iii) Copying from the answer book of other candidate.
4. CASES INWHICH A CANDIDTE CAN BE DEBARRED FOR APPEARING IN ANY EXAMINATION OF COMMISSION FOR NEXT THREE YEARS IN ADDITION TO CANCELLATION OF THAT EXAMINATION :
(i) Runs away with his own answer book.
(ii) Refusing to give declaration in prescribed form.
(iii) Writing of other examinee's Roll No. on answer book.
(iv) Marking identification marks in the answer book.
5. CASES WHICH A CANDIDATE CAN BE DEBARRED FOR APPEARING INANY EXAMINATION OF COMMISSION FOR NEXT FIVE YEARS IN ADDITION TO CANCELLATION OF THAT EXAMINATION :
(i) Attempting to destroy/destroying evidence of copying.
(ii) Threatening, intimidating or misbehaviouring with Supdt./Add. Supdt./Dy. Supdt./Invigilator or members of Flying squad in connection with examination work before, during and after examination.
(iii) Taking help of any outside person in answering question paper.
(iv) Providing fallse information in examination form.
(v) Attempting to influence any person connected with examinationfor favour.
6. CASES WHICH A CANDIDATE CAN BE DEBARRED FOR APPEARING IN ANY EXAMINATION OF COMMISSION FOR NEXT WHOLE LIFE IN ADDITION TO CANCELLATION OF THAT EXAMINATION :
(i) Submitting forged documents.
(ii) Impersonation i.e. sending other person to appear in examination on his behalf.
(iii) Disrupting conduct of examination or atempting to do so.
(iv) Tempering with the secrecy of the examination in any form or attempting to do so.
(v) Attempting to put pressure onthe Cmmission/Selection board for favour.
(vi) Bringing in examination Centre any weapon or similar objets.
(vii) Physically mishandling assualting Centre Supdt. or any other person connected with exasminatin work.

PROCEDURE FOR AWARDING PUNISHMENT
(i) Punishment under category 1 will be awarded by the Secretary in consultation with Centre Superintendent.
(ii) Punishment under category 2, 3 & 4 will be awarded by Chairman, n the basis of report submitted bgy Secretary after getting the explanation from/hearing the candidate and obtaining the report of examiner in case of coying.
(iii) Punishment under category 5 & 6 will be awarded by Commission on the basis of report submitted by Secretary, after getting the explanation from/hearing the candidate.

11. आयोग की वेबसाइट :– उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट http://www.rpsc.gov.in पर उपलब्ध सूचना से भी जानकारी प्राप्त कर सकते है । इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/स्पष्टीकरण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष सं0 0145.2627696 – 2627080, 2627112 पर सम्पर्क किया जा सकता है ।

समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाये ।

सचिव